दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला आपूर्त्ति प्रशाखा)

****

आदेश

प्रधान सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक 112/खाद्य, दिनांक 16.01.2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पहचान किए गये लाभुकों के सत्यापित डाटा बेस का अद्यतीकरण एवं आधार संख्या, बैंक खाता संख्या इत्यादि के प्रविष्टि एवं प्रविष्टि के पश्चात Final Checklist की प्रिटिंग कराये जाने का निदेश प्राप्त है । साथ ही आधार सीडिंग की कार्रवाई भी की जानी है । उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के द्वारा 31 मार्च 2017 तक आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है । यदि निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत आधार सीडिंग की कार्रवाई पूर्ण नहीं होगी तो, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्न को रोका जा सकता है ।

विदित हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पहचान किए गये लाभुकों के सत्यापित डाटा बेस का अद्यतीकरण एवं आधार संख्या, बैंक खाता संख्या इत्यादि के संग्रहित डाटा बेस की प्रविष्टि तथा Checklist एवं Final Printing कर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा जिला के लिए MKS ENTERPRISES, NEW DAKBUNGLOW ROAD, PATNA एजेन्सी/भेण्डर का चयन निविदा के माध्यम से किया गया है । एजेन्सी/भेण्डर द्वारा 35 दिनों के अन्दर निविदा एवं एकरारनामा में वर्णित शर्त्तों के अनुसार उक्त कार्य को पूरा किया जाना है ।

जिला में एजेन्सी/भेण्डर को निम्नलिखित सुविधाएँ जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया कराये जाने का निदेश प्राप्त है :–

1. कार्य करने हेतु लगभग 1000–1500 वर्गफीट का कार्य स्थल, बैठने की व्यवस्था करना, बिजली का कनेक्शन की व्यवस्था ।
2. चेकलिस्ट का मिलान सर्वे प्रपत्र से कराने हेतु संबंधित प्रखण्डों के संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी (प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी) को निदेशित किया जाना ।
3. कार्य स्थल पर जिला में संग्रहित डाटा बेस भेण्डर को उपलब्ध कराया जाना तथा उसकी ऑनलाईन प्राप्ति रसीद प्राप्त कर विभाग को सूचना देना ।
4. भेण्डर को बाधारहित कार्य करने हेतु प्रशासनिक एवं सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान किया जाना, ताकि ये बिना रूकावट के कार्य कर सके ।
5. चेकलिस्ट मिलान के उपरान्त मुद्रित अंतिम प्रकाशन सूची एवं चेकलिस्ट को जिला में सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था करना एवं भेण्डर को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना ।
6. कार्य करने हेतु अपेक्षित सहयोग करते हुए कार्य स्थल पर नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति कर विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना ।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिम, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि संबंधित प्रखण्डों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पहचान किए गये लाभुकों के सत्यापित डाटा बेस का अद्यतीकरण एवं आधार संख्या, बैंक खाता संख्या इत्यादि के संग्रहित डाटा बेस को जिला आपूर्त्ति प्रशाखा, मुजफ्फरपुर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा संग्रहित डाटा बेस को एजेन्सी/भेण्डर को ससमय उपलब्ध कराया जा सके । साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि कार्य स्थल पर अपेक्षित सहयोग करने हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिम, मुजफ्फरपुर को नामित किया जाता है । डाटा बेस का कार्य करने हेतु जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, मुजफ्फरपुर को अधिगृहित किया जाता है ।

ह./–
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर ।

ज्ञापांक–15–19/2016– 91 /आपूर्त्ति, दिनांक: 30-1-17

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिम, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि चेकलिस्ट का मिलान सर्वे प्रपत्र से कराने हेतु संबंधित प्रखण्डों के संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी (प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी) को निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिम/सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी, शहरी क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – MKS ENTERPRISES, NEW DAKBUNGLOW ROAD, PATNA को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि अधिगृहित परिसर में अपना सिस्टम अधिष्ठापित कर अविलम्ब कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे ।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर ।